प्रेषक.

बी०एल० मीणा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।

निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 15 जनवरी 2021 समाज कल्याण अनुभाग-3

वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा विषय: 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यकमों के छात्रों के संस्थानों से आवेदन अग्रसारण हेतु संशोधित समय—सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-3042-43 / स०क० / शिक्षा—अ / 07 / 28 / 2020—21, दिनांक—15.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यकमों के छात्रों के संस्थाओं से आवेदन अग्रसारण हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-164 / 2020 / 3575 / 26-3-2020-4(358) / 07 टी०सी०-III दिनांक 21-12-2020 द्वारा

निर्गत समय-सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :--

कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण

(Renewal) के छात्र / छात्राओं हेत्।

क0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	वर्तमान समयावधि कक्षा 11—12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020—21)	संशोधित समयावधि कक्षा 11—12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020—21)
1	2	3	4
1	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	15 जनवरी 2021 तक	17 जनवरी, 2021 तक
2	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय		22 जनवरी, 2021 तक

2.2014 ET 2.20 20 De De la Propriedi New 8.0

19.1.20 20 De De la Propriedi Parse Paragrapa Para

	अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।		
3	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	21 जनवरी, 2021 तक	22 जनवरी, 2021 तक
4	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन०आई०सी० की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	16 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2021 तक	
5	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	22 फरवरी, 2021 तक	22 फरवरी, 2021 तक
6	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सिहत छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबिमेट किया जाना।		03 फरवरी, 2021 से 10 फरवरी, 2021 तक

नोट:- शासनादेश संख्या-164/2020/3575/26-3-2020-4(358)/07 टी०सी०-III दिनांक 21-12-2020 द्वारा जारी समय-सारिणी के शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय—सारिणी का अपने स्तर से प्रचार—प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020—21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(बी०एल० मीणा) प्रमुख सचिव पृ०सं0- ०७ / 2021 / 193 (1) / 26-3-2021 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र**० द्वारा** निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोके कुमार) विशेष सचिव।

## निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- C-3176

/ स0क0 / शिक्षा-अ / 7 / 28 / 2020-21

लखनऊ, दिनांकः 💝 जनवरी , 2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी / वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संशोधित समय—सारिणी के शासनादेश दिनांक 15.01.2021 की प्रति छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ—साथ तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- 2- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 3— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश दिनांक 15.01.2020 द्वारा जारी संशोधित समय—सारिणी का संबंधित बोर्डों तथा समस्त शिक्षण संस्थानों / छात्रों को सूचना हेतु व्यापक प्रचार—प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी) निदेशक

Bul

page-65